

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

जिलेन्द्र कुमार पिता स्व० राम चन्द्र राम, निवास स्थान "मुनी" कुटीर, देवांगना चौक, कोर्दा, वार्ड नं०-10, थाना-कोर्दा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्दा, थाना नं०-156, खाता संख्या-72 प्लॉट संख्या-1188, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि पिंकी कुमारी पिता सुबोध रजक, निवास स्थान लाखे, वार्ड नं०-10, पोस्ट-कोर्दा, थाना-कोर्दा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-61/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 304/रा० दिनांक 27.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 662 दिनांक 10.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार रैयती किरम की भूमि है। खतियानी रैयत रामटहल दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 10.22 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.6426 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-164/V पर ऑनलाईन में रामचन्द्र राम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदक के पिता जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 1.5926 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्य  
दिप्पणी

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में जितेन्द्र कुमार पिता स्व0 राम चन्द्र राम, निवास स्थान "मुनी" कुटीर, देवांगना चौक, कोर्रा, वार्ड नं0-10, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-72 प्लॉट संख्या-1188, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि पिकी कुमारी पिता सुबोध रजक, निवास स्थान लाखे, वार्ड नं0-10, पोस्ट-कोर्रा, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता

अपर समाहर्ता, हजारीबाग